ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

01, सैक्टर–नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी–201310
जिला–गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक– ग्रे0नौ0 / ओ0एस0डी0(उद्योग) / FTS 64573   दिनॉक: 08 / 10 / 2020

बैठक का कार्यवृत्त

दिनॉक 30.09.2020 को अपराह्न् 3.00 बजे जूम एप के माध्यम से ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के उद्यमियों / औद्योगिक संगठनों के साथ ग्रेटर नौएडा के उद्योगों की समस्याओं के सम्बन्ध में माननीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत हुई, जिसमें प्राधिकरण के अधिकारीगण एवं उद्यमी / औद्योगिक संगठन उपस्थित हुए। उक्त बैठक में दिनॉक 08.09.2020 की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा ई0आर0पी0 सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है, जिसका पहला माड़यूल पिछले दिनों शुरू कर दिया गया है। उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक प्रकार की शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा। इसमें ई0 मेल का भी सिस्टम है। 50% से अधिक पत्रावलियॉ शीघ्र ही उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से आदान–प्रदान होने लगेगी। उक्त सॉफ्टवेयर के माधयम से एन0ओ0सी0 / पी0टी0एम0 / ट्रॉन्सफर मेंमोरेन्डम इत्यादि कार्य भी इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाले जा सकते हैं।

कार्यवाही–उप महाप्रबन्धक (सिस्टम)

2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि ई0आर0पी0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के रिक्त भूखण्डों का पता लगाया जा सकेगा कि किस–किस सेक्टर में कितने भूखण्ड वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं।

कार्यवाही–उप महाप्रबन्धक (सिस्टम)

(क) **श्री एस0पी0शर्मा, (अध्यक्ष, आई0आई0ए0)** द्वारा निम्न समस्याओं के सामाधान हेतु अनुरोध किया गयाः–

1. डोमेस्टिक वेस्ट को उठाने की प्राधिकरण में कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए एक नोडल एजेन्सी / आफीसर नियुक्त करके उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण हेतु अनुरोध किया गया।
2. औद्योगिक सैक्टर में रेहडी, पटरी वालों द्वारा अतिक्रमण कर लिया है, जिसे तत्काल हटाने हेतु अनुरोध किया गया।
3. जिलाधिकारी कार्यालय परिसर / न्यू हालैण्ड ट्रेक्टर्स के आसपास के क्षेत्र में जल भराव की स्थिति गंम्भीर है। इसके अतिरिक्त इकोटेक–3, कुलेसरा में भी जल भराव / सडकों की स्थिति तथा पथ प्रकाश की स्थिति ठीक न होने के बारे में अवगत कराया गया।
4. दादरी रोड पर कई जगह कट होंने के बारे में भी उद्यमी संगठनों ने अपने–अपने विचार मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के समक्ष रखे। सडक के किनारे खडे पेडों की भी काफी समय से छटाई नहीं कराई गयी, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा जूम बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को उपरोक्त कार्यों को प्राथमिकता पर कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
5. 130 मी0 चौडी सडक पर ग्रामों के साईनेज लगवाये जायें।

6. नोएडा गाजियाबाद को ग्रेटर नौएडा से जोडने वाली मुख्य सडक 130मीटर सडक रेलवे लाईन के चलते तिलपता गोल चक्कर से साकीपुर तक रास्ता दोनों साईड से बंद है वहॉ रास्ते की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिससे वहॉ सुबह शाम रोज जाम लगा रहता है। निवासी समय पर कार्यस्थल पर नहीं पहुँच रहे हैं। निवेदन है कि केवल गुलिस्तानपुर के मार्ग की 300 मीटर सडक की रिपेयर हो जाए तो वह आवागमन को सुगम बना सकता है यह बहुत गम्भीर समस्या है।

7. औद्योगिक सैक्टरों में डोमेस्टिक कूडा उठाने की व्यवस्था है अथवा नहीं किसी को नहीं पता है यह पारदर्शी होनी चाहिए।
8. ग्रेटर नौएडा विश्वस्तरीय शहर है लेकिन किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय निर्माण किये जाए।

कार्यवाही–महाप्रबन्धक (परियोजना)/ वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य/उद्यान)

(ख) **श्री अजय रस्तोगी**, उद्यमी द्वारा निम्न समस्याओं के सामाधान हेतु अनुरोध किया गयाः–

1. तिलपता गोल चक्कर पर अत्यधिक जाम की स्थिति रहती है। उक्त स्थान से 200 मीटर की दूरी पर करीब 300 मीटर का भूमि जो यूपी0एस0आई0डी0सी0 के अधिकार क्षेत्र में आती है, उसे तत्काल ठीक कराने/सडक बनाए जाने की मॉग की गयी ।
2. औद्योगिक सेक्टरों से अतिक्रमण तत्काल हटवाए जाने की भी मॉग की गयी।

3. औद्योगिक सेक्टरों के श्रमिकों के शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। औद्यौगिक सेक्टर में शौचालय शीघ्र बनवाए जाने हेतु मांग की गयी, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने औद्योगिक सेक्टरों में 30 पब्लिक टॉयलेट बनाए जाने का निर्देश दिये गये, जिनका शीघ्र ही आंगणन करा लिए जाए।

कार्यवाही–महाप्रबन्धक (परियोजना)/वरिष्ठ प्रबन्धक–स्वास्थ्य

(ग) **श्रीमती मंजुला मिश्रा,(जिलाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती)** द्वारा निम्न समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध किया गयाः–

1. औद्योगिक सैक्टरों में सीवर, सडक, वाटर लाईन की समस्याओं के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने उपरोक्त समस्याओं को सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिये गये।
2. एल0जी0 इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी के पास अन्दर जाने हेतु केवल एक ही गेट है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। उद्यमी संगठनों द्वारा कम से कम 02 गेट बनाने का अनुरोध किया है। मुख्य कार्यपलाक अधिकारी महोदय द्वारा नियोजन एवं परियोजना विभाग के अधिकारियों को उक्त क्षेत्र का सर्वे कराकर उद्यमियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण हेतु निर्देश दिये गये।

3. उद्यमी संगठनों द्वारा विद्युत आपूर्ति की समस्या के बारे में भी उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके कारण उनके उद्योगों का कार्य प्रभावित हो रहा है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त समस्या के शीघ्र निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये।

4. उद्यमियों द्वारा वाटर सप्लाई सुचारू रूप से न होने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त समस्या के निराकरण हेतु परियोजना विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया ।

कार्यवाही–महाप्रबन्धक (परियोजना/नियोजन)

(घ) **श्री नरेश गुप्ता, (अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, सैक्टर–12)** द्वारा निम्न समस्याओं के सामाधान हेतु अनुरोध किया गयाः–

1. प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक सैक्टरों में पूर्व में डस्टबीन रखवाए गये थे, जिनका नियमित रूप से इन डस्टबिनों में पडें कूडे का निस्तारण नही कराया जा रहा है।
2. औद्योगिक सैक्टर इकोटेक–12 की सडक की स्थिति अत्यन्त खराब है, जिसके कारण श्रमिक गलत दिशा में जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उपस्थित प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धक श्री ब्रहमसिंह द्वारा 15 अक्टूबर, 2020 तक उक्त समस्या के निस्तारण हेतु उद्यमियों को आश्वस्त किया।
3. औद्योगिक सैक्टर इकोटेक–12 की सीवर लाइन मैन लाइन से कनेक्ट नही की है, जिसे कनेक्ट कराने हेतु उपस्थित वरिष्ठ प्रबन्धक, सीवर, श्री श्रीपाल सिंह भाटी ने उक्त समस्या को जल्दी ही निस्तारित कराने हेतु उद्यमी संगठनों को आश्वस्त किया।

4. औद्योगिक सैक्टर इकोटेक–12 के पार्को की स्थिति अत्यन्त खराब है। पार्को की बाउन्ड्रीवाल के स्थान पर कटीले तार लगाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये।

5. औद्योगिक सैक्टर इकोटेक–12 एवं ग्रेटर नौएडा के ग्रामों में जाने हेतु दिशा सूचक बोर्ड नही लगाए गये हैं। इस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा महाप्रबन्धक (परियोजना–पी.के.) को तत्काल दिशासूचक साइनबोर्ड लगवाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. उद्यमी संगठनों द्वारा पानी की समस्या के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। कुछ जगहों पर लाइन न होने तथा कई जगह पानी की लाइनों में पानी न आने की समस्या के बारे में अवगत कराया गया, जिस पर तत्काल कार्यवाही हेतु मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया।
7. औद्योगिक सैक्टरों की सीवर लाइन मेन लाइन से कनेक्ट नहीं है, जिसे कनेक्ट कराने हेतु उपस्थित वरिष्ठ प्रबन्धक सीवर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।
8. औद्योगिक सैक्टरों में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हाल ही में एक सिक्योरिटी गार्ड की गन छीन ली गयी थी, जिसके कारण भय का माहौल बना रहता है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा महाप्रबन्धक (नियोजन) को एक सर्वे कराकर उक्त समस्या के हल हेतु त्वरित सकारात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

9. उद्यमी संगठनों द्वारा नये एवं पुराने सेक्टरों में एफ0ए0आर0 के अन्तर के बारे में मांग उठाई, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने प्रचलित नियमों के अनुसार सुविधा देने हेतु निर्देशित किया गया।

10. इसके अतिरिक्त वन टाइम सेटिलमेन्ट पॉलिसी लागू करके सभी परिसम्पत्तियों के फंक्शनल / कम्पलीशन / वाटर बिल के लम्बित कार्य निस्तारित कराने हेतु अनुरोध किया गया। महाप्रबन्धक (नियोजन) माह में एक बार उपरोक्त कार्यो हेतु एक कैम्प दिनॉक 10 अक्टूबर, 2020 को आयोजित करते हुए लम्बित कार्यों का निस्तारण कराएं। इस कैम्प में उद्योग विभाग के अधिकारियों हेतु उक्त समाधान योजना में उपस्थित रहने हेतु भी निर्देशित किया गया।
11. उद्यमी संगठनों द्वारा तिमाही दण्ड धनराशि को प्रत्येक माह में लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से विचार–विमर्श उपरान्त कोई निर्णय से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही–विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)
महाप्रबन्धक (परियोजना / वित्त / नियोजन / अर्बन / स्वास्थ्य)

(च) **श्री के0पी0 सिंह, (यू0पी0सी0एम0ई0)** द्वारा निम्न समस्याओं के सामाधान हेतु अनुरोध किया गयाः–
1. सी0आर0पी0एफ0 के सामने एक यू0टर्न बनाने हेतु अनुरोध किया गया। श्री एन0के0जैन वरिष्ठ प्रबन्धक परियोजना का उक्त कार्य हेतु एक सप्ताह में आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
2. काउन प्लॉजा होटल तिराहे के पास सडकों का मेंन्टीनेंश / डिस्पले बोर्ड नही है।

कार्यवाही–महाप्रबन्धक (परियोजना)

(छ) **श्री अजय मेहरा, (ग्रेटर नौएडा इंडस्ट्रियल ग्रुप)**, द्वारा निम्न समस्याओं के सामाधान हेतु अनुरोध किया गयाः–
1. जनवरी, 2019 से अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि 550 / – के हिसाब से जमा कराने हेतु प्राधिकरण से पत्र प्रेषित किये गये थे, जो कि बाद में कम करके रू0 483 / – कर दिया गया। इसके पश्चात माह जुलाई, 2020 में एक दूसरा पत्र भेजा गया, जिसमें प्रतिकर की धनराशि परिवर्तित हो गयी। उक्त के अन्तर को वापस करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया। जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा 10 दिनों में नियमानुसार निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– विशेष कार्याधिकारी (उद्योग) / महाप्रबन्धक (वित्त)

(ज) **श्री मनीष अग्रवाल**, उद्यमी द्वारा निम्न समस्याओं के सामाधान हेतु अनुरोध किया गयाः–

1. उद्यमी श्री मनीष अग्रवाल द्वारा भूखण्ड संख्या–15 इकोटेक–12 के भूखण्ड हेतु वांछित धनराशि एकमुश्त जमा कराने हेतु पत्र दिया था, जिसका उत्तर प्राधिकरण में प्रतीक्षित है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त पत्र का उत्तर शीघ्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही–विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)

(झ) **यू0पी0 टर्बो प्रा0लि0**, इकोटेक–1 एक्सटेशन के प्रतिनिधि द्वारा भूखण्ड संख्या–21, 22 में सीवर लाईन कियाशील नहीं है, जिसे चालू कराने हेतु अनुरोध किया गया।

कार्यवाही–महाप्रबन्धक (परियोजना/अर्बन)

(ञ) **श्री विवेक गुप्ता,** उद्यमी द्वारा सैक्टर–31 भूखण्ड संख्या–28ई, इकोटेक–1 के समय विस्तरण के बारे में अनुरोध किया गया, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण को निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिये गये।

कार्यवाही–विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)

(ट) **श्री आशीष भारद्वाज** द्वारा भूखण्ड संख्या–112 , 113 सेक्टर इकोटेक–6 के डीम्ड सेंक्शन एवं एक मुश्त धनराशि के लम्बित प्रकरण के निस्तारण हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा नियोजन/उद्योग विभाग से सम्पर्क कर प्रकरण शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)/
महाप्रबन्धक (नियोजन/उद्योग)

(ठ) **श्री रणवीर सिंह डाढा, (इन्टरप्रिन्योर एसोसिशेसन)** ग्रेटर नौएडा द्वारा निम्न समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध किया गयाः–

1. वन टाइम लीजरेंट परमीशन हेतु अनुरोध किया गया।
2. उद्योग केन्द्र–2 में कूडेदान की कोई व्यवस्था नहीं है।

कार्यवाही– विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)
महाप्रबन्धक (परियोजना)/वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य)

(ड) **श्री पी0के0 अग्रवाल** द्वारा निम्नानुसार समायाओं के सामाधन हेतु अनुरोध किया गयाः–

1. भूखण्ड संख्या–51, सेक्टर इकोटेक–2, क्षेत्रफल–450 वर्ग मीटर का भौतिक कब्जे के बारे में पत्र 12 साल से लम्बित है।
2. सैक्टर इकोटेक–12 में भूखण्ड संख्या–85 के सापेक्ष देय धनराशि को ठीक किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसके कम में उद्यमियों को चालान की प्रति उपलब्ध कराने हेतु को कहा गया है।
3. सैक्टर इकोटेक–3 में सडक बन गई है लेकिन अभी अधूरी है तथा नालियॉ भी नहीं बनी है।

कार्यवाही– विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)/
महाप्रबन्धक (परियोजना)

(ढ) **श्री बृजेश जैन**, उद्यमी द्वारा भूखण्ड संख्या–77, इकोटेक–03, आवंटन संख्या–आई.एन.डी.01–13/00030 के समय विस्तारण प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित विभाग को शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।

कार्यवाही–विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)

(ण) **श्री परेश चावला,** उद्यमी द्वारा भूखण्ड संख्या–57, टॉय सिटी के कम्पलीशन हेतु अनुरोध किया गया तथा साथ ही अवगत कराया गया कि पत्रावली नियोजन विभाग में गुम है। जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा महाप्रबन्धक (नियोजन) को पत्रावली खोज कर प्रकरण निस्तारण कराने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही–महाप्रबन्धक (नियोजन)

(त) **श्री विकास शर्मा** द्वारा भूखण्ड संख्या–340, उद्योग केन्द्र–1, इकोटेक–03 दिये जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर उक्त भूखण्ड नियोजित न किये जाने के कारण मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निमिषा शर्मा, तत्कालीन उप महाप्रबन्धक (नियोजन) की जॉचोपरान्त अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये।

कार्यवाही–महाप्रबन्धक (नियोजन)

(थ) **श्री मुकेश मोहन, उद्यमी** द्वारा औद्योगिक सेक्टर इकोटेक–11 में विकास न होने की समस्या से मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवगत कराया । उक्त सेक्टरों में पूर्व में जो आवंटी गण अपने भूखण्ड की लीजडीड करवा चुके हैं, उनसे विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा रहा हैं । इस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्राधिकरण में प्रचलित नियमों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।

कार्यवाही–विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)

(द) **श्री चंचल** उद्यमी, द्वारा बताया गया कि इकाटेक–2 में झाड़ू नही लगाई जा रही है। मिट्टी पडी है। सफाई नहीं हो रही है जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही हेतु निदेश दिये गये।

कार्यवाही–महाप्रबन्धक (स्वास्थ्य)

(ध) **श्री के0पी0 सिंह**, द्वारा बताया गया कि चालान जमा किये जाने पर उचित अपडेशन नहीं हो रहा है, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही–महाप्रबन्धक (वित्त)

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अपने अधिकारियों की बैठक में प्रस्तुत समस्त बिन्दुओं/समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभारी करते हुए आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई। उद्योग बन्धु की अगली बैठक दिनांक 29.10.2020 अपरान्ह 3.00 बजे नियत की गई है।

(शिव प्रताप शुक्ल)
विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ आफीसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
2. स्टॉफ आफीसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी0) महोदय के सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (परियोजना–एस0एस0/पी0के0/वित्त /नियोजन/जल/विद्युत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी (अर्बन सर्विसेज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त औद्योगिक संगठनों को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रबन्धक (उद्योग) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. गार्ड फाईल।

08.X.2020

विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)